

सं. 5344 /नेडा-एसई-सौर ऊर्जा नीति-2022
उ.प्र. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनांक : 21/12, 2022

कार्यालय ज्ञाप

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश सं० 1335/87-755- अति०ऊ०स्रो०
वि०/2022 दिनांक 23.11.2022 द्वारा "उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022" का
प्राख्यापन किया गया है।

2. अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश सं० 1465/87-2022-755- अति०
ऊ०स्रो०वि०/2022 दिनांक 08.12.2022 से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के
प्राविधानों एवं प्रोत्साहनों के अनुसार प्रदेश में ग्रिड संयोजित सौर परियोजनाओं की
स्थापना, विकास एवं उनके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किये गये
है।

3. उक्त दिशा-निर्देश के बिन्दु 5 में सौर ऊर्जा नीति-2022 में उपलब्ध व्यवस्थानुसार
निम्न उल्लेखित है:-

"सौर ऊर्जा नीति में राउन्ड दी क्लाक (आर०टी०सी०) सौर ऊर्जा हेतु स्टोरेज
सिस्टम को प्रोत्साहित किया गया है। स्टोरेज के साथ सौर ऊर्जा परियोजना के
लिए नीति के अन्तर्गत 05 मेगावाट क्षमता अथवा उससे अधिक क्षमता के 4 घण्टे के
बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित यूटीलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजना एवं
स्टैण्ड अलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम (केवल सौर ऊर्जा से ऊर्जाकृत) जिनसे
उत्पादित ऊर्जा का विक्रय विद्युत वितरण निगम/यूपीपीसीएल को किया जाता है,
पर रू० 2.5 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से पूंजीगत उपादान उपलब्ध कराया
जायेगा।"

4. सौर ऊर्जा नीति-2022 में उपलब्ध व्यवस्थानुसार एवं निर्गत दिशा-निर्देश के बिन्दु
5 के अनुपालन हेतु प्रदेश में 05 मेगावाट क्षमता एवं उससे अधिक क्षमता के 4 घण्टे
के बैटरी स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित सौर विद्युत परियोजना एवं स्थापित
स्टैण्ड अलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम (केवल सौर ऊर्जा से ऊर्जाकृत) जिनसे
उत्पादित ऊर्जा का विक्रय विद्युत वितरण निगम/यूपीपीसीएल को किया जाता है,
को रू० 2.5 करोड़ प्रति मेगावाट की दर से देय पूंजीगत अनुदान निम्नानुसार
अवमुक्त किया जायेगा :-

(i) परियोजना विकासकर्ता अथवा बैटरी इनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकासकर्ता द्वारा
यूपीपीसीएल के साथ निष्पादित निर्धारित क्षमता क्रय अनुबन्धानुसार कुल परियोजना
क्षमता की कमिशनिंग एवं सीओडी (Commercial Operation Date) प्राप्ति के पश्चात
एवं यूपीपीसीएल की सस्तुति पर कुल देय पूंजीगत अनुदान की 70 प्रतिशत
अनुदान धनराशि, यूपीनेडा द्वारा उक्त वित्तीय वर्ष के अपने बजटीय प्राविधानुसार
धनराशि आहरित करते हुए परियोजना विकासकर्ता अथवा बैटरी इनर्जी स्टोरेज
सिस्टम विकासकर्ता को अवमुक्त की जायेगी।

- (ii) शेष 30 प्रतिशत देय अनुदान धनराशि, यूपीपीसीएल के साथ बैटरी इनर्जी स्टोरेज सिस्टम से निर्धारित क्षमता क्य हेतु निष्पादित न्यूनतम 12 वर्ष के अनुबन्ध के क्रियान्वयन अवधि अर्थात् COD से प्रत्येक 02 वर्ष के उपरान्त देय अनुदान धनराशि की 5 प्रतिशत धनराशि यूपीपीसीएल द्वारा अनुबन्ध में निर्धारित मानकों और स्थापित स्टोरेज क्षमता की निर्धारित परफारमेंस पैरामीटर की प्राप्ति की संस्तुति पर बैटरी स्टोरेज सिस्टम के डेवलपर अथवा परियोजना विकासकर्ता को यूपीनेडा द्वारा अपने बजटीय प्राविधान से धनराशि आहरित करते हुए अनुदान धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (iii) यह अनुदान धनराशि केवल राज्य में स्थापित स्टैण्ड अलोन बैटरी स्टोरेज सिस्टम (राज्य में स्थापित स्टैण्ड एलोन सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट/सौर ऊर्जा पार्क के अन्दर स्थापित प्रोजेक्ट से ऊर्जाकृत) एवं 4 घण्टे के स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित 05 मेगावाट क्षमता अथवा उससे अधिक क्षमता के सौर विद्युत परियोजनाओ पर ही उपलब्ध होगा।

(अनुपम शुक्ला)

आई0ए0एस0

निदेशक, यूपीनेडा।

012

सं. 5344 / नेडा-एसई-सौर ऊर्जा नीति-2022 दिनांक 21/12/2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को संज्ञानार्थ प्रेषित।

1. अध्यक्ष, यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
2. प्रबंध निदेशक, यूपीपीसीएल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ।
3. सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा।
4. परियोजना अधिकारी (सोलर पालिसी-2022), यूपीनेडा, मुख्यालय।

(अनुपम शुक्ला)

आई0ए0एस0

निदेशक, यूपीनेडा।

012